

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

21/3/15

171

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 24th March, 2015

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Maharashtra State AIDS Control Society a body constituted by the Government of Maharashtra in respect of the following specified income arising to that Society, namely:-

“Amount received in the form of grants-in-aid from the Central Government”.


2. This notification shall be deemed to have been applied for the financial years 2011-2012, 2012-2013 and 2013-2014 and shall be applicable for the financial Years 2014-2015 and 2015-2016.

3. This notification shall be effective subject to the following conditions, namely:-

- (a) the Maharashtra State AIDS Control Society does not engage in any commercial activity;
- (b) the activities and the nature of the specified income of the Maharashtra State AIDS Control Society remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) the Maharashtra State AIDS Control Society files return of income in accordance with the provisions of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

4. The grants received by the said Society shall be received and applied in accordance with the prevailing rules and regulations.

[Notification No. 29 /2015 (F.No.196/74/2012-ITA.)]



(Deepshikha Sharma)

Director to the Government of India

To,

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-11, खंड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च, 2015

का.आ.....(अ)- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी, महाराष्ट्र सरकार द्वारा सृजित निकाय, को उक्त सोसायटी को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

“केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि”।

2. इस अधिसूचना को वित्त वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए लागू माना जाएगा और वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 के संबंध में लागू होगी।
3. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी, अर्थात्:-
 - (क) महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी किसी वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल नहीं होती है;
 - (ख) महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी की विनिर्दिष्ट आय की गतिविधियां और प्रकृति पूरे वित्त वर्ष में अपरिवर्तित रहती है; और
 - (ग) महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (44ग) के खंड (छ) के उपबंधों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करती है।
4. उक्त सोसायटी द्वारा प्राप्त अनुदान को प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार प्राप्त और प्रयोग किया जाएगा।

[अधिसूचना संख्या: 29 /2015 (फा.सं. 196/74/2012-आयकर निर्धारण-1)]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)

निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,
प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के समीन), नई दिल्ली